अनुसूची 14–फारम सं०–562।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक–1941 का नियम 129)

आदेश–पत्रक – ....ता०.......................................से.......................................तक

जिला– लखीसराय, वाद संख्या :–66/2015–16 सन् 2015

केश का प्रकार :– समपहरण वाद, राज्य बनाम युगल किशोर मांझी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
29.01.2016	अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय का पत्रांक–794/आ0, दिनांक–18.12.2015 द्वारा रामगढ़ चौक थाना कांड सं0–749/15 दिनांक–01.12.2015 के अंतर्गत जप्त घरेलू गैस सिलेन्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6A के तहत समपहरण करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक–175, दिनांक–02.12.15 में उल्लेख है कि दिनांक–01.12.2015 को अपराह्न 01:00 बजे अम्बेदकर आवासीय बालिका विद्यालय, ग्राम–बिहरौरा के भोजनालय कक्ष में तलाशी के दौरान पाया गया कि नियोजत NGO द्वारा घरेलू गैस सिलिन्डर (14.2) का अवैध इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उक्त सेदर्भ में NGO के सचिव, श्री युगल किशोर मांझी, पिता–श्री डोमन मांझी, ग्राम–दीघा, पो0–पतनेर, थाना व जिला–लखीसराय को मौका पर रंगे हाथ गिरफ्तार कर थाना कवैया(लखीसराय) के अभिरक्षा में रखा गया है। स्पष्ट है कि अम्बेदकर आवासीय बालिका विद्यालय, विहरौरा में NGO के सचिव श्री युगल किशोर मांझी के द्वारा सरकार द्वारा अनुदानित गैस सिलेन्डर का अवैध रूप से उपयोग किया जाता है। अतः श्री युगल किशोर मांझी, पिता–श्री डोमन मांझी, ग्राम–दीघा, पो0–पतनेर, थाना व जिला–लखीसराय को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत धारा–7 के अन्तर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा किया गया है। उपर्युक्त तथ्य जो संलग्न प्राथमिकी के आधार पर जप्ती सूची तथा अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय की अनुशंसा पर सामने आये हैं, यह स्पष्ट है कि नामजद अभियुक्त श्री युगल किशोर मांझी, पिता–श्री डोमन मांझी, ग्राम–दीघा, पो0–पतनेर, थाना व जिला–लखीसराय द्वारा The Prevention of Black Marketing Maintainance of Supply Essential Commodity Act. 1980 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया जाना प्रमाणित है। चूँकि जप्त घरेलू गैस नष्ट न हो, अतः अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को EC Act. 1955 amended Bihar Act. 9 of 1978 के 6(A)(2) के तहत आदेश दिया जाता है कि जप्त घरेलू गैस को नीलाम कर प्राप्त राशि उचित शीर्ष में जमा करते हुए प्रतिवेदन दें। पुनः आदेश दिया जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(B) के तहत अभियुक्त को नोटिश निर्गत करें कि क्यों नही जप्त घरेलू गैस, आवश्यक वस्तु अधिनियम 6(A) के तहत समपहरण कर ली जाय। अभिलेख दिनाक–02.03.16 को उपस्थापित करें। जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय। ज्ञापांक–84 विधि, दिनांक–29-01-16 प्रतिलिपि :–अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, लखी0/ अनुमंडल पदाधिकारी, लखी0 तथा थाना प्रभारी, रामगढ़ चौक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदा0, लखी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय।	

109